भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *231

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

गैसीकरण परियोजनाओं की आर्थिक और विनियामक चिंताएं

*231. **श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह मानती है कि कोयला गैसीकरण एक उच्च-लागत वाला उद्यम है जिसमें अत्यधिक वित्तीय जोखिम शामिल है;

(ख) पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सिंगरेनी कोलियरीज गैसीकरण संयंत्र के लिए आवश्यक केंद्र या राज्य सरकार की स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता या वित्तपोषण प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो उस वित्तपोषण का विशिष्ट ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गैसीकरण परियोजनाओं की आर्थिक और विनियामक चिंताएं" के संबंध में श्री रवि चंद्र वद्दीराजू द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *231 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार का मानना है कि कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और एक नया क्षेत्र होने के नाते, व्यवहार्यता चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना में उनकी कार्यनीतिक राष्ट्रीय अनिवार्यता के कारण सहायता करने के लिए, सरकार ने दो वित्तीय प्रोत्साहन स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है। पहली स्कीम को दिनांक 24.01.2024 को 8,500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि दूसरी स्कीम को 37,500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ दिनांक 13.05.2026 को स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग): गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण, सुरक्षा, सांविधिक और प्रचालनात्मक पहलुओं के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों से स्वीकृति अपेक्षित होती है।

कोयला मंत्रालय को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कोयला मंत्रालय की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीमों के तहत केंद्रीय/राज्य पीएसयू और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी पात्र आवेदक लाभ उठा सकते हैं। चूंकि एससीसीएल ने अपनी कोयला गैसीकरण पहल के लिए इस मंत्रालय से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है, इसलिए मंत्रालय द्वारा एससीसीएल की किसी भी कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित अथवा अनुमोदित नहीं किया गया है।
